भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 867

उत्तर देने की तारीख 07 फरवरी, 2022

सोमवार, 18 माघ, 1943 (शक)

तमिलनाडु में कौशल प्रशिक्षण

†867 श्री एम. सेल्वराज:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाल के दिनों में भारतीय नौकरी बाजार में योग्यता अंतराल का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के सतत विकास के लिए आवश्यक कुशल लोगों की संख्या का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में कौशल विकास के बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया है और इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) जी हाँ। सभी क्षेत्रों में कौशल आवश्यकता/अंतराल के क्षेत्रीय और भौगोलिक प्रसार और मानव संसाधन की वृद्धिशील आवश्यकता को समझने के लिए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (एनएसडीसी) में (पीपीपी) निकाय के माध्यम से अध्ययन किया गया है। 2016 के पर्यावरण स्कैन ने मानव संसाधन आवश्यकता पर सरकार की प्रमुख पहलों के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पिछली रिपोर्टों के निष्कर्षों को अद्यतन किया। अध्ययन में 24 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 2017-2022 के दौरान 103 मिलियन की वृद्धिशील मानव संसाधन आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इसका सेक्टर-वार वितरण दर्शाने वाली तालिका अनुबंध-I में दी गई है। कई क्षेत्रों में मानव संसाधन की आवश्यकता में ओवरलैप को ध्यान में रखते हुए, वृद्धिशील मांग के लिए संख्या 2022 तक 109.7 मिलियन होगी, जिसमें शीर्ष 10 क्षेत्रों का हिसाब इस आवश्यकता का 80% होगा। राज्य-वार वृद्धिशील मानव संसाधन आवश्यकता पर भी काम किया गया है, जिसके अनुसार 2013 की तुलना में 2022 तक 120.33 मिलियन की

वृद्धिशील मांग का आकलन किया गया है। हालांकि, जैसा कि मंत्रालय द्वारा उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया गया है, वृद्धिशील प्रशिक्षण की आवश्यकता 34 क्षेत्रों में 2017-22 के दौरान संख्या 128.21 मिलियन रही। इसका सेक्टर-वार वितरण अनुबंध-II में दिया गया है।

सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से भारत में विभिन्न राज्यों के लिए जिला-स्तरीय कौशल अंतराल अध्ययन करने के लिए एक्सेंचर, केपीएमजी, और प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) सहित विभिन्न संगठनों को भी शामिल किया था। अध्ययन 443 जिलों में किए गए थे। इनमें 2013-17 और 2017-22 में जिलेवार कौशल अंतराल की जानकारी है।

राज्य-वार अध्ययन का समग्र उद्देश्य संबंधित राज्यों में संख्या और आवश्यक कौशल और क्षमता दोनों के संदर्भ में जिला-स्तरीय कौशल अंतराल का आकलन करना था। अध्ययन राज्य के जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और कौशल अंतराल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वे राज्यों के भीतर कौशल आवश्यकताओं और अवसरों को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा, भारत के 21 तटीय जिलों के सागरमाला, जहाजरानी मंत्रालय के लिए मानव संसाधन और कौशल आवश्यकता अध्ययन तैयार किया गया था।

(ख) किसी भी दूर के भविष्य के लिए ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ऐसी आवश्यकताएं प्रौद्योगिकी की प्रकृति और उत्पादों और सेवाओं की मांग के बदलते पैटर्न पर निर्भर करती हैं जो अंततः कौशल की मांगों में बदलाव में खुद को दर्शाती हैं। हालांकि, जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 बनाते समय एक अनुमान लगाया गया था। 2022 में देश में कौशल की कुल आवश्यकता को संक्षेप में निम्नानुसार दर्शाया गया है (राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015के परिशिष्ट-II में):

(मिलियन में)	
क) विशेष रूप से 45 वर्ष से कम आयु के मौजूदा कर्मचारियों की आरपीएल, पुन: कौशलीकरण, कौशल उन्नयन और कौशलीकरण	298.25
ख) 2015-22 के दौरान नए प्रवेशकों के लिए कौशल	104.62
कुल	**402.87**

(ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) तमिलनाडु सहित देश भर में विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

क्र.सं.	स्कीमें	उद्देश्य
1	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)	कुशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपनी महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य राजस्थान राज्य सहित पूरे भारत में उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है। पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक हैं, नामत: अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)।
2	जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम	इस स्कीम का उद्देश्य निरक्षर, नव-साक्षर, 8वीं तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा वाले व्यक्तियों और 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूल बीच में छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। प्राथमिकता समूह महिलाएं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं। जन शिक्षण संस्थान न्यूनतम बुनियादी ढांचे और संसाधनों के साथ लाभार्थियों के निकट तक काम करते हैं। इस स्कीम के तहत कौशल विकास के लिए जन शिक्षण संस्थानों (एनजीओ) को अनुदान जारी किया जाता है।
3	राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)	यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं के नियोजन को बढ़ाने के लिए है।
4	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)	यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है।

विभिन्न स्कीमों द्वारा तमिलनाडु को आवंटित धन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2016-20 के दौरान आबंटित निधि (रुपए करोड़ में)
1	पीएमकेवीवाई	270.06
2	जेएसएस	11.41
3	एनएपीएस	9.36
4	संकल्प	12.38
5	वीटीआईपी*	1.41
6	स्ट्राइव**	17.20
	योग	**321.82**

*विश्व बैंक से सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी): इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 400 सरकारी आईटीआई का उन्नयन शामिल है। इस स्कीम को सितंबर 2018 में बंद कर दिया गया है।

**औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) एक नई केंद्रीय क्षेत्र की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। 2017 से शुरू हुई इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष है और समापन तिथि नवंबर 2022 है।

अनुबंध-I

'तमिलनाडु में कौशल प्रशिक्षण' के संदर्भ में 07.02.2022 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के उत्तर के संबंध में।

देश के 24 क्षेत्रों में, 2017-22 तक वृद्धिशील मानव संसाधन की आवश्यकता का विवरण:

(अनुमान मिलियन में)

क्र.सं.	**सेक्टर**	**अनुमानित मानव संसाधन की आवश्यकता**		**वृद्धिशील मानव संसाधन की आवश्यकता**
		2017	**2022**	**(2017-2022)**
1	कृषि	229	215.5	-13.5
2	भवन निर्माण और रियल एस्टेट	60.4	91	30.6
3	खुदरा	45.3	56	10.7
4	रसद, परिवहन और भंडारण	23	31.2	8.2
5	कपड़ा और वस्त्र	18.3	25	6.7
6	शिक्षा और कौशल विकास	14.8	18.1	3.3
7	हथकरघा और हस्तशिल्प	14.1	18.8	4.7
8	ऑटो और ऑटो घटक	12.8	15	2.2
9	निर्माण सामग्री और भवन हार्डवेयर	9.7	12.4	2.7
10	निजी सुरक्षा सेवाएं	8.9	12	3.1
11	खाद्य प्रसंस्करण	8.8	11.6	2.8
12	पर्यटन, आतिथ्य और यात्रा	9.7	14.6	4.9
13	घरेलू मदद	7.8	11.1	3.3
14	रत्न और आभूषण	6.1	9.4	3.3
15	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर	6.2	9.6	3.4
16	सौंदर्य और कल्याण	7.4	15.6	8.2
17	फर्नीचर और फर्निशिंग	6.5	12.2	5.7
18	स्वास्थ्य देखभाल	4.6	7.4	2.8
19	चमड़ा और चमड़े का सामान	4.4	7.1	2.7
20	आईटी और आईटीईएस	3.8	5.3	1.5
21	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा	3.2	4.4	1.2
22	दूरसंचार	2.9	5.7	2.8
23	दवाइयों	2.6	4	1.4
24	मीडिया और मनोरंजन	0.7	1.3	0.6
	योग	**510.8**	**614.2**	**103.4**

अनुबंध -II

देश के 34 क्षेत्रों में वृद्धिशील प्रशिक्षण की आवश्यकता का क्षेत्र-वार वितरण (2017-22)

(लाख रु.में)

क्र.सं.	सेक्टर	वृद्धिशील मानव संसाधन और प्रशिक्षण की आवश्यकता
1	कृषि	24.5
2	पशुपालन	18
3	उर्वरक	1
4	कपड़ा हथकरघा और हस्तशिल्प	60
5	ऑटोमोटिव, ऑटो कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स	41*
6	रत्न और आभूषण	35
7	खाद्य प्रसंस्करण	33.7
8	चमड़ा	25
9	दवाइयों	14
10	रसायन और पेट्रोरसायन	12
11	इस्पात	7.5 (2025 तक)
12	रबड़ निर्माण	6.7
13	सड़क परिवहन और राजमार्ग	62.2**
14	बंदरगाह और समुद्री	25
15	विमानन और एयरोस्पेस	14.2
16	रेलवे	0.12 (2018 तक)
17	शक्ति	15.2
18	तेल गैस	7.3
19	नवीकरणीय ऊर्जा	6
20	कोयला खनन	2.6
21	निर्माण	320**
22	फर्नीचर फिटिंग	52.6
23	पेंट्स और कोटिंग्स	9
24	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी-आईटीईएस	69 #
25	दूरसंचार	38.6
26	खुदरा	107**
27	सौंदर्य और कल्याण	82
28	मीडिया और मनोरंजन	13
29	पर्यटन और आतिथ्य	49
30	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई)	12
31	रसद	42.9**
32	स्वास्थ्य देखभाल	32 (2025 तक)
33	सुरक्षा	31
34	मीडिया और मनोरंजन	13
	योग	1282.12

*पूंजीगत वस्तु- 19 लाख , मोटर वाहन - 22 लाख

** अन्य क्षेत्रों के साथ अधिव्यापन

इलेक्ट्रानिक्स - 53 लाख, आईटी-आईटीईएस -16 लाख

****